


(उमंजी मालयम) ग्री प्राइमरी से जूनियर हाईस्कूल तक



प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
बलिया।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
एपेक्स स्कूल बभनौली।  
शिक्षा क्षेत्र : गड्ढवार।  
बलिया।

पत्रांक : १३९६ /२२१५३-५६ /२०१८-१९

दिनांक : १०-१२-२०१८

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 की प्रायोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 के नियम-15 के उपनियम-(4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-४१९/७९-६-२०१३-१८ एस (७)/८९ दिनांक ८ मई २०१३ के अनुपान्तर ८५ आपके द्वारा कक्षा ८ से कक्षा ४ तक दिनांक ०१.०७.२०१५ से दिनांक ३०.०६.२०१८ तक इस कार्यालय के पत्रांक/२८०६-४८७/२०१५-१६ दिनांक २७.०१.२०१६ द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए औपबन्धिक मान्यता सम्मेलित किया गया था।

उक्त के सम्बन्ध में आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर क्षेत्रीय खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा की गयी जाँच एवं संस्तुति के उपशान्त शासन द्वारा निर्भत राजाज्ञा सं०-४१९/७९-६-२०१३-१८ एस (७) ७९ दिनांक ८ मई २०१३ के प्रस्तर १५ में सम्मिलित प्राविधानों के अन्तर्गत एतद्वारा कक्षा ४ प्री प्राइमरी नर्सरी से कक्षा ४ तक की औपबन्धिक मान्यता प्रदान की जाती है। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के भवित्व में विद्यमान रहने के अधीन होगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जानें के अध्यधीन है :-

1. मान्यता के लिए स्वीकृति दिस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ०८ के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध-1) और उ०४० निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा -१ में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के २५ (पच्चीस) प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और सन्तुष्ट निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पुरा हों जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा ३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा १२ की उपधारा (२) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपाइटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रिफ्रिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-१५ के उपबन्धों का पालन करेगा।
  - प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा। या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
  - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।


**Deoria Senior प्राथमिक/प्रिमरी पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।**

- प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-२५ के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

**Principal**  **अध्यक्षों की भर्ती अधिनियम की धारा-२३ (१) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहताओं के साथ की जाती है। इसका अनिवार्यता पालन किया जायेगा।**

  
(Mr. Rajan)  
Principal  
Nav Jeevan Mission School  
Ashish Nagar, Salempur Road,  
Sonughat, Deoria (U.P.)

  
Manager  
APEX SCHOOL  
Babhanauji, Gorakhpur, U.P.


- अध्यापक अधिनियम की धारा—24 (1) के अंतर्गत विर्भिट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
- अध्यापक स्थान को किसी निजी अध्यापन किया कलार्पों में नियोजित नहीं करेगा।
- 7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित पाठ्यवर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का अनुसारण करेगा।
- 8. विद्यालय अधिनियम की धारा—19 में यथा विर्भिट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनायें रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं—
  - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल : ~~110.585~~ कर्गिल
  - कुल निर्भिट क्षेत्र : 15000.... "
  - क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल : 3510.585 "
  - कक्षाओं की संख्या : 10.....
  - प्राध्यापक सह कार्यालय 1 —
  - सहभण्डार के लिए कक्ष 1 — उपलब्ध है।
  - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शीचालय—उपलब्ध है।
  - पेयजल उपलब्ध है।
  - बीड़—डे—गिल पकाने के लिए रसोई—उपलब्ध है।
  - बाधा रहित पहुँच—सुनिश्चित की गयी है।
  - अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्कर/पुस्तकालय की उपलब्धता—उपलब्ध है।
- 9. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगी।
- 10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या ब्रिंडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
- 11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) में अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा जलाया जा रहा है।
- 12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13. लेखाओं की सम्परीक्षा (आडिट) और प्रमाणन किसी घार्टड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण हैं यार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित की जानी चाहिए।
- 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 481/2015 है। कृपया इसको ध्यान रखा जाय और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्र व्यवहार के लिए इस संख्यांक उल्लेख करें।
- 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय—समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो। और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने यो विद्यालय की कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
- 16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण नवीनीकरण ग्रंथि कोई हो, को सुनिश्चित किया जायें।
- 17. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय—समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशों का अनुपालन करेगा।
- 18. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

Principal  
Deoria Senior Secondary School  
Deoria (U.P.)

P  
Principal  
APEX School  
Babhanauli, Garwar-Ballia

पृष्ठा ०१ व दिनांक उपरोक्तानुसार।  
प्रतिलिपि— निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक) लाजमगत।
2. जिला समाज कार्यालय अधिकारी, बलिया।
3. खण्ड गिरावचिकारी निदेशक क्षेत्र : गढ़वार, बलिया।



APEX SCHOOL  
Babhanauli, Garwar-Ballia

संस्थापक  
(संस्थापक कुमार राय)  
जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी  
बलिया

संस्थापक  
(संस्थापक कुमार राय)  
जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी  
बलिया